Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **डूंगरपुर में दो थानाधिकारी एवं दो कानिस्टेबल दो अलग–अलग मामलों में क्रमशः 2 लाख 50 हजार रुपये एवं 80 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **शराब कारोबारियों से मासिक बन्धी के रूप में ली जा रही थी रिश्वत**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *16 जून, गुरुवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा आज डूंगरपुर में दो अलग–अलग स्थानों पर एक साथ कार्यवाही करते हुये भैयालाल आंजणा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना धम्बोला, जिला डूंगरपुर को कानिस्टेबल भोपाल सिंह के माध्यम से 2 लाख 50 हजार रुपये लेते हुये तथा दिलीप दान बारहट पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, डूंगरपुर को कानिस्टेबल जगदीश विश्नोई के माध्यम से 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके शराब के कारोबार को निर्बाध रूप से चलने देने तथा उसके विरूद्ध दर्ज मुकदमों में कार्यवाही हल्की करने की एवज में भैयालाल आंजणा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना धम्बोला एवं दिलीप दान बारहट पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, डूंगरपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के लिये मासिक बन्धी के रूप में **10 लाख रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। आरोपियों द्वारा कानिस्टेबल भोपाल सिंह के माध्यम से परिवादी से **5 लाख रुपये** रिश्वत के रूप में पहले ही वसूल कर लिये थे। परिवादी से पहले भी लाखों रुपये रिश्वत के रूप में लिये जा चुके हैं।

जिस पर **ब्यूरो के महानिदेशक श्री सोनी एवं अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम. एन.** के सुपरवीजन में एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर दयाल एवं पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीर शरण** एवं उनकी टीम द्वारा **डूंगरपुर में** कार्यवाही करते हुये भैयालाल आंजणा पुत्र श्री किशनलाल निवासी रजोरा, पुलिस थाना हथूनिया, जिला प्रतापगढ़ हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना धम्बोला, जिला डूंगरपुर के लिये कानिस्टेबल भोपाल सिंह पुत्र श्री नवल सिंह राठौड़ निवासी अमरतिया, आसपुर जिला डूंगरपुर को 2 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

इसी क्रम में एसीबी टीम द्वारा दिलीप दान बारहट पुत्र स्व. श्री राणीदान निवासी मु. पो. रेपड़ावास, तहसील सोजत सिटी, पाली हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, डूंगरपुर के लिये कानिस्टेबल जगदीश विश्नोई पुत्र श्री मांगीलाल निवासी हेमनगर, झंवर, जिला जोधपुर को परिवादी से 80 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा परिवादी से कानिस्टेबल भोपाल सिंह के माध्यम से पूर्व में लिये गये **5 लाख रुपये** रिश्वत राशि भी तलाशी के दौरान कानिस्टेबल भोपाल सिंह की अलमारी से बरामद कर लिये गये हैं। प्रकरण में संलिप्त अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की भूमिका की भी गहनता से जाँच की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।